



## सार्वजनिक सूचना

दीर्घकालीन (अधीनस्थ) जमा श्रृंखला-II के धारकों के ध्यानार्थ

### बैंक द्वारा एलटीडी श्रृंखला - II के कॉल ऑप्शन

बैंक ने २५.०३.२०१९ से १२.०६.२०१९ की अवधि के दौरान ९% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर, ७ वर्ष ३ माह की अवधि के लिए, त्रैमासिक ब्याज भुगतान के साथ एलटीडी जारी किए थे। ऑफर दस्तावेज़ की शर्तों के अनुसार, परिपक्वता से पहले मूलधन के भुगतान के लिए बैंक को जारी करने की तिथि से ५ वर्ष पूर्ण होने के बाद किसी भी समय कॉल ऑप्शन का प्रयोग करने का अधिकार है।

बैंक ने कॉल ऑप्शन का प्रयोग करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त कर लिया है (आरबीआई की स्वीकृति दिनांक ०७ नवंबर २०२५) तदनुसार, बैंक ने ३१.१२.२०२५ को समाप्त तिमाही के ब्याज भुगतान के तुरंत बाद सभी दीर्घकालीन (अधीनस्थ) जमा एलटीडी श्रृंखला-II का भुगतान करने का निर्णय लिया है।

अतः, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से ७ दिनों के बाद बैंक सभी एलटीडी श्रृंखला-II बंद कर देगा तथा धारकों के अनिवार्य/निर्दिष्ट खाते में मूलधन एवं भुगतान की तिथि तक लागू ब्याज (टीडीएस की कटौती के बाद) की राशि जमा करेगा।

धारकों के पास मौजूद भौतिक एलटीडी श्रृंखला-II को धारकों के खाते में भुगतान की तिथि से पूर्णतः चुकता माना जाएगा और उसी तिथि से रद्द समझा जाएगा। बैंक, टीडीएस (यदि लागू हो) की कटौती के पश्चात मूलधन एवं देय ब्याज की राशि को एलटीडी धारक/धारकों के अनिवार्य/नामित खाते में जमा कर अपनी सभी देनदारियों से मुक्त माना जाएगा।

आदेशानुसार